



बिहार सरकार
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - बिहपुर

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2025/685719


दिनांक : 09/04/2025

प्रमाणित किया जाता है कि सुप्रिया कुमारी(Supriya Kumari), पिता-वेदानंद यादव(Vedanand Yadav), माता-आशा देवी(Asha Devi), ग्राम/मोहल्ला-Arsandih, पोस्ट-Amarpur, थाना- बिहपुर, प्रखंड-बिहपुर, अनुमंडल-नवगछिया, जिला-भागलपुर, राज्य बिहार यादव , ग्वाला समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 22 पर अंकित है | अतः सुप्रिया कुमारी, पुत्री- वेदानंद यादव, माता-आशा देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की है |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था0 (एस0सी0टी0) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आती है |

स्थान : बिहपुर

दिनांक : 09/04/2025



राजस्व अधिकारी बिहपुर
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।